Bhushan Promoters and Developers Pvt. Ltd.
Sri Vishwanath Bhawan, Mo. : Madhukam, P.O. : Hehal
P. S. : Sukhdeonagar, Ranchi - 834005 (Jharkhand)
Telefax : 0651-2282484, Mobile : 9431'-15144, 93343-90739

Date- 06/04/2018

TO WHOM IT MAY CONCERN

We the undersigned, hereby declare that at present our company has two employees.

With regards,

Bhushan Promoters and Developers Pvt. Ltd.
Kamal Bhushan
Director

Kamal Bhushan
(Director)

THE EMPLOYEES' PROVIDENT FUNDS AND MISCELLANEOUS PROVISIONS ACT, 1952

(Act No. 19 of 1952)

कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबन्ध अधिनियम, 1952

(1952 का अधिनियम संख्या 19)

[14th March, 1952]

An Act to provide for the institution of provident funds [2][,[1][pension fund] and deposit-linked insurance fund] for employees in factories and other establishments.

[14 मार्च, 1952]

कारखानों एवं अन्य संस्थानों के कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि, [2][[1][पेंशन निधि] और जमा सहबद्ध बीमा निधि] की स्थापना के प्रयोजन के लिये अधिनियम।

Be it enacted by Parliament as follows :—

संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम बनाया जावे :—

अंग्रेजी पाठ—

1. Short title, extent and application— [1][(1) This Act may be called The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.]

(2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

[3][(3) Subject to the provisions contained in Section 16, it applies—

(a) to every establishment which is a factory engaged in any industry specified in Schedule I and in which [4][twenty] or more persons are employed, and

(b) to any other establishment employing [4][twenty] or more persons or class of such establishments which the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf:

Provided that the Central Government may, after giving not less than two months' notice of its intention so to do, by notification in the Official Gazette, apply the provisions of this Act to any establishment employing such number of persons less than [4][twenty] as may be specified in the notification.

[5][(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (3) of this section or sub-section (1) of section 16, where it appears to the Central Provident Fund Commissioner, whether on an application made to him in this behalf or otherwise, that the employer and the majority of employees in relation to any establishment have agreed that the provisions of this Act should be made applicable to the establishment, he may, by notification in the Official Gazette,

1. 1996 के अधिनियम सं. 25 की धारा 2 के द्वारा प्रतिस्थापित (16.11.1995 से प्रभावी)।
2. 1976 के अधिनियम सं. 99 की धारा 12 के द्वारा अंतःस्थापित किया (1.8.1976 से प्रभावी)।
3. 1988 के अधिनियम सं. 33 की धारा 2 के द्वारा मूल उपधारा (3) के स्थान पर जोड़ा गया।
4. 1960 के अधिनियम सं. 46 की धारा 2 के द्वारा 'पचास' शब्द के स्थान पर (31.12.1960 से) जोड़ा गया।
5. 1988 के अधिनियम सं. 33 की धारा 2 के द्वारा पूर्व उपधारा (4) के स्थान पर जोड़ा गया (दि. 1.8.1988 से प्रभावी)।

06/04/2018 2c0aa133-3230-4165-9930-69955f24d063.JPG

apply the provisions of this Act, to that establishment on and from the date of such agreement or from any subsequent date specified in such agreement.]

[7][(5) An establishment to which this Act applies shall continue to be governed by this Act notwithstanding that the number of persons employed therein at any time falls below twenty.

[6][XXX]]

1. नाम संक्षेप, विस्तार एवं लागू होना– [2][(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबन्ध अधिनियम, 1952 है।]

(2) इसका प्रभाव क्षेत्र (विस्तार) जम्मू और कश्मीर राज्य के अलावा सम्पूर्ण भारत है।

[3][(3) धारा 16 के उपबंधों के अधीन रहते हुये, यह–

(ए) ऐसे प्रत्येक संस्थान जो कि अनुसूची I में उल्लिखित किसी भी उद्योग के अन्तर्गत एक कारखाना है तथा जिसमें [4][बीस] या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, और

(बी) [4][बीस] या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले ऐसे अन्य किसी संस्थान या संस्थानों के वर्ग, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, पर लागू होगा:

परन्तु [4][बीस] व्यक्तियों से कम की निश्चित संख्या में, जिसका अधिसूचना में उल्लेख हो, नियोजित करने वाले संस्थानों पर इस अधिनियम के प्रावधानों को, ऐसा करने के आशय का कम से कम दो माह का नोटिस देकर, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना जारी करके लागू कर सकेगी।]

[5][(4) इस धारा की उपधारा (3) या धारा 16 की उपधारा (1) में से किसी तथ्य के बावजूद केन्द्रीय भविष्यनिधि आयुक्त को चाहे इस निमित्त आवेदन किया गया हो या अन्यथा यह भान हो कि किसी संस्थान के नियोक्ता एवं कर्मचारियों के बहुमत के बीच सहमति हुयी है, इस अधिनियम के प्रावधान उस संस्थान पर लागू किया जावे, राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के प्रावधानों को, इस निमित्त सहमत तिथि पर या उस तिथि से अथवा सहमति के बाद की किसी अन्य तिथि से, लागू कर सकेगा।]

[7][(5) किसी भी समय नियोजित व्यक्तियों की संख्या बीस से कम हो जाने के तथ्य के बावजूद वह संस्थान, जिस पर यह अधिनियम लागू है, वह इस अधिनियम के अन्तर्गत बना रहेगा।

[6][XXX]]

---

2. 1976 के अधिनियम सं. 99 की धारा 17 से प्रतिस्थापित (दि. 1.8.1976) से प्रभावी।
3. 1956 के अधिनियम सं. 94 की धारा 2 के द्वारा मूल उपधारा (3) के स्थान पर जोड़ा गया।
4. 1960 के अधिनियम सं. 46 की धारा 2 के द्वारा 'पचास' शब्द के स्थान पर (31.12.1960) से जोड़ा गया।
5. 1988 के अधिनियम सं. 33 की धारा 2 के द्वारा मूल उप-धारा (4) के स्थान पर जोड़ा गया (दि. 1.8.1988 से प्रभावी)।
6. 1971 के अधिनियम सं. 16 की धारा 13 के द्वारा परन्तुक को हटाया गया (23.4.1971 से प्रभावी)।
7. 1960 के अधिनियम सं. 46 की धारा 2 के द्वारा जोड़ा गया (31.12.1960 से प्रभावी)।

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/1629b9f5f22c3484?projector=1&messagePartId=0.5 1/1